333

441

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

R-2399-II/12

भगवानशरण तनय श्री युदुनन्दन प्रसाद ब्रा0 उम्र- 75 वर्ष ग्राम सोहाई कामता थाना व तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 =====निगरानीकर्ता

बनाम

सूर्यबली तनय श्री माधव प्रसाद ब्रा0 उम्र वर्ष साकिन सोहाई कामता थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा म0प्र0 ==== गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 169अ-13/10-11 में पारित आदेश दिनांक- 23.5.12

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है:-

01:- यहकि निगरानीकर्ता के स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक-110 रकबा 1.15ए0 स्थित ग्राम सोहाई कामता सर्किल रामपुर तहसील नईगढ़ी जिला-रीवा म0प्र0 के अन्तर्गत व उक्त भूमि की सीमा से उत्तर दिशा में गैरनिगरानी- की भूमि खसरा क्रमांक- 111, 112 व दक्षिण दिशा में खसरा क्रमांक-109 भूमि स्थित ग्राम सोहाई कामता तहसील नईगढ़ी जिला रीवा के अन्तर्गत स्थित है2

उक्त वर्णित निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता की भूमियों पर रास्ता निकाले जाने हेतु गैरनिगरानीकर्ता के द्वारा सर्किल रामपुर तहसील नईगढ़ी में, आवेदन अन्तर्गत धारा 131 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था,

क्रमशः2..//पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

(333)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2399-II/12 जिला–रीवा

भगवानशरण ब्रा0/सूर्यवली ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण कुमार साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 169/अ–13/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	